

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (2) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित नर्सिंग सिस्टर को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नमिता फ्रांसिस	सी.एच.सी. बिलहा , जिला बिलासपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के अधीन	स्वयं के व्यय
2	संगीता सिंह	सामु.स्वा. केन्द्र सक्ती, जिला जांजगीर।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के अधीन	प्रशासकीय
3	श्रीमती सावित्री चंद्राकर	सी.एच.सी. धरसीवा , जिला रायपुर	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
4	कु.गणेश खाण्डे	सी.एच.सी. सारंगढ़ जिला रायगढ़	सिविल अस्पताल खरसिया जिला रायगढ़	आपसी
5	श्री छाया प्रधान	सिविल हॉस्पिटल खरसिया (100 शैया) जिला रायगढ़	सामु. स्वा. केन्द्र सारंगढ़ जिला रायगढ़	आपसी
6	मीना सिंह	सिविल अस्पताल खैरागढ़ जिला राजनांदगांव	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के अधीन	प्रशासकीय
7	श्रीमती नेमा ठाकुर	जिला चिकित्सालय दन्तेवाड़ा	सामु.स्वा. केन्द्र किरंदुल, जिला दन्तेवाड़ा	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी, अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. T. Jha

- 4/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

U. Jaisankar

(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-64/2017/सत्रह/एक (2)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

U. Jaisankar

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2